प्रेषक,

संख्या 3232/86-2013-127/2011

सतोष कुमार,
विशेष सचिव,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0 प्र0 सरकार।

सेवा में,

✓ समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 12 अगस्त, 2013

विषयः—नदी तट पर एवं नदी से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के बिना समस्त खनन संक्रियायें एवं बालू को हटाने पर रोक के संबंध में।

महोदय,

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने मूल प्रार्थना–पत्र संख्या–171/2013 बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार में विचार करते हुये दिनांक 05 अगस्त 2013 को आदेशित किया है कि, ".....We restrain any person, company, authourity to carry out any mining activity or removal of sand, from river beds anywhere in the country without obtaining Environmental Clearance from MoEF/ SEIAA and licence from the competent authorities....."

उपर्युक्त के कम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा नदियों के तटों पर कहीं भी बिना पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र के खनन संक्रियायें करने या बालू के हटाने पर रोक लगा दी है। अतः आपसे अनुरोध है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के उक्त आदेश दिनांक 05 अगस्त, 2013 का पूरी तरह से अनुपालन सुनश्चित करने का कष्ट करें।

सलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(संतोष कुमार) 12/8/13
विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को उपर्युक्त आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0 प्र0 को नेशनल ग्रीन टिब्युनल के आदेश दिनांक 05 अगस्त, 2013 की प्रति संलग्न करते हुये इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया नेशनल ग्रीन टिब्युनल के उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनश्चित कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार)
विशेष सचिव